

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

:-कार्यालय आदेश:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1) (क) के (प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिक का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित उनके नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17(1)(क) अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/ पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित संस्था का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती छाया शर्मा प्रधान सहायक	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी-नैनीताल	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी-बागेश्वर	जनहित

1- उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 879 /स्था०-02/वा० स्थाना०/ 2025-26

दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी-नैनीताल।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड-देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1) (ख) का (छ:) के प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिक का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित उनके नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1) (ख) का (छ:) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण (दुर्गम से दुर्गम)।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/ पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित संस्था का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री पवन कुमार प्रधान सहायक	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी-बागेश्वर	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी-पिथौरागढ़	अनुरोध के आधार पर

1- उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

2- अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिक स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 880 /स्था०-02/वा० स्थाना०/ 2025-26

दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर/पिथौरागढ़।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी जनपद-बागेश्वर।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी जनपद-पिथौरागढ़।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड-देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1) (ग) के प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिक का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित उनके नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17(1)(ग) अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/ पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित संस्था का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री हरि सिंह मेहरा प्रधान सहायक	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी-नैनीताल	जनहित

1- उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 881 /स्था०-02/वा० स्थाना०/ 2025-26

दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी-पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 4- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड-देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1) (क) एवं (ग) के प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिक का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित उनके नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17(1) (क) एवं (ग)- अनिवार्य स्थानान्तरण। (सुगम से दुर्गम/दुर्गम से सुगम)।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/ पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित संस्था का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री पंकज कुमार कनिष्ठ सहायक	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी - पिथौरागढ़	जनहित
2	श्री मुकुन्द सिंह कनिष्ठ सहायक	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर	जनहित

1- उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 882 /स्था०-02/वा० स्थाना०/ 2025-26

दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित कार्मिकों को परिपालनार्थ।
- 2- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 4- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1) (क) एवं (ग) के प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिक का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित उनके नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17(1) (क) एवं (ग) अनिवार्य स्थानान्तरण। (सुगम से दुर्गम/दुर्गम से सुगम)।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/ पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित संस्था का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री विरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक.	कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल	कार्यालय-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत	जनहित
2	श्री जगमोहन काण्डपाल कनिष्ठ सहायक	कार्यालय-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत	कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल	जनहित

1- उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

H0/
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 883 /स्था०-02/वा० स्थाना०/ 2025-26

दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित कार्मिकों को परिपालनार्थ।
- 2- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी-हल्द्वानी/चम्पावत।
- 4- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड-देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

प्रेषक,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग
कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी, नैनीताल।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक 929

/स्था-1/वार्षिक-स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक 10-06-2025

विषय:-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेशों को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत करना है कि स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 में मण्डलीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर किये गये निम्न सवर्गों के स्थानान्तरण आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहें हैं कि संलग्न आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

- 1-पशुधन प्रसार अधिकारी सवर्ग।
- 2-पशु चिकित्सा फार्मसी, अधिकारी, सवर्ग।
- 3-मिनिस्ट्रीयल सवर्ग।
- 4-वैक्सीनेटर सवर्ग।
- 5-चतुर्थ श्रेणी सवर्ग।

संलग्न- उक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।